

पंजीयन क्रमांक 1062/10

दिनांक 4-5-2016

डिस्पेच नं०

दिनांक 4/5/16

प्रपत्र ( फार्म ) संख्या 7

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (दिखिये नियम-6)

# पंजीयन ( रजिस्ट्रेशन ) प्रमाण-पत्र



सत्यमेव जयते

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर

श्री श्री रतावाबाजी सेवा एवम् विकास संस्थान

लारवा पोस्ट देवा तहसील जैसलमेर

जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री जगदाम, सचिव न्यासी (ट्रस्टी) गोशाला

श्री श्री रतावाबाजी सेवा एवम् विकास संस्थान लारवा ने राजस्थान गोशाला

अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला

के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं चूंकि आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात्

में सन्तुष्ट हो गया हूँ, कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही है, तथा आवेदन-पत्र में

दिये गये विवरण सत्य है, अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, एतद्

द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्ट्र) करली गई है।

आज दिनांक 4/5/16

माह मई

वर्ष दो हजार दस



उपनिदेशक गोशालाएँ, जयपुर  
(पंजीयक- (रजिस्ट्रार) एवम् उपनिदेशक)  
गोशाला राजस्थान जयपुर  
4-5-16

Relief & Civil Defence Department

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....79/जैसल/2022-2020.

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री रताबाबा सेवा एच. विकास संस्थान लारवा जिला जैसलमेर का राजस्थान सस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक.....4.....माह.....अक्टूबर.....सन् दो हजार.....21.....को जैसलमेर में दिया गया ।



2-  
(रजिस्ट्रार संस्थाएं)  
रजिस्ट्रार संस्थाएं  
जैसलमेर